

एएसआईडीई संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की डॉ० राहुल खुल्लर, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 20.1.2011 को अपराह्न 2.30 बजे समिति कक्ष सं. 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त ।

डॉ० राहुल खुल्लर, सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 20.1.2011 को समिति कक्ष सं. 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी । बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची अनुबंध-1 में दी गई है ।

2. डॉ० श्याम अग्रवाल, अपर सचिव ने अधिकारियों का स्वागत किया और एएसआईडीई निधि की स्थिति का ब्यौरा संक्षेप में प्रस्तुत किया ।

2.1 वाणिज्य सचिव ने निम्नलिखित पर जोर दिया और निम्नलिखित नीतिगत निर्णय लिए गए:-

2.1.1 निधियों की एसईजेड-वार प्राप्ति, व्यय तथा निधियों की निवल उपलब्धता तथा अवसंरचना विकास प्रस्तावों के संबंध में सातों केन्द्रीय एसईजेडों द्वारा नियत प्रतिशत के अंशदान संबंधी सिफारिश का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है और इसे एसईजेड प्रभाग द्वारा किया जाना है ताकि उच्चाधिकार प्राप्त समिति एएसआईडीई के अंतर्गत ऐसी पूंजीगत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु अंतिम निर्णय ले सके । तब तक सातों केन्द्रीय एसईजेडों के प्रस्तावों पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा ।

2.1.2 एएसआईडीई के अंतर्गत अनुरक्षण उन्नयन तथा सामाजिक अवसंरचना से संबंधित एसईजेडों की परियोजनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा । इसकी लागत संबंधित एसईजेड प्राधिकारी द्वारा वहन की जाएगी ।

2.1.3 एएसआईडीई दिशा-निर्देशों के अनुसार एएसआईडीई से स्थापना, परियोजना कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा निगरानी प्रभारों हेतु कोई लागत देय नहीं है । तदनुसार एएसआईडीई सहायता के अंतर्गत इस संबंध में अतिरिक्त लागत और एजेंसी प्रभार आदि पर विचार नहीं किया जाएगा । एतदपश्चात ऐसी लागतें संबंधित एजेंसी/एसईजेड प्राधिकारी द्वारा वहन की जानी है ।

2.1.4 जब तक समुचित औचित्य सिद्ध नहीं किया जाता, केन्द्रीय संघटक के अंतर्गत राज्य सरकार (एनईआई तथा एलसीएस को छोड़कर) से प्राप्त किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा ।

2.1.5 सातों केन्द्रीय एसईजेडों के आंतरिक अवसंरचना विकास हेतु निधियां मुख्यतः एएसआईडीई से उपलब्ध कराई जा रही हैं। परंतु सभी केन्द्रीय एसईजेडों में इर्दगिर्द/बाह्य अवसंरचना को एकसमान सभी केन्द्रीय एसईजेडों के विकास आयुक्तों द्वारा बनाया जाना आवश्यक है। अतः बाहरी अवसंरचना के सुधार हेतु एएसआईडीई के राज्य संघटक अथवा मौजूदा कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्त-पोषण हेतु ऐसे मुद्दों को संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव के साथ आयोजित बैठक में उठाया जाए; और

2.1.6 सौर विद्युत परियोजनाओं के मामलों में प्रस्ताव उपलब्ध सब्सिडी प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संसाधनों तथा एसईजेड प्राधिकारी से वित्तपोषण की पुष्टि के बाद ही उच्चाधिकारी प्राप्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

2.1.7 एजेंसियों को संस्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा (अधिकतम पूर्णता अवधि सामान्यतः दो वर्ष की होनी चाहिए) के भीतर पूरा करना चाहिए और उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) शीघ्र प्रस्तुत करना चाहिए।

3. तत्पश्चात कार्यसूची में शामिल मदों पर विचार-विमर्श किया गया। चूंकि दिनांक 30.9.2010 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई अतः कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा इसे रिकार्ड में शामिल किया गया।

3.1 परियोजनाएँ, जिन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने विचार किया था परंतु निर्णय अभी लिया जाना है :-

(लाख रुपए में)					
क्र. सं.	एजेंसी	परियोजना	कुल परियोजना लागत (टीपीसी)	प्रशासनिक अनुमोदन	अनुमोदित निर्णय (2010-11)
1	फाल्टा एसईजेड	कंटेनरों के सुचारु आवागमन हेतु एफएसईजेड के सेक्टर-1 तथा II में सड़कों का निर्माण	277.84	277.84	150.00
2	फाल्टा एसईजेड	एफएसईजेड, सेक्टर-1 के कस्टम गेट के निकट जंक्शन का विकास	302.02	आस्थगित	-

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	एजेंसी	परियोजना	कुल परियोजना लागत (टीपीसी)	प्रशासनिक अनुमोदन	अनुमोदित निर्णय (2010-11)
3	कांडला एसईजेड	दो एसडीएफ बिल्डिंग (भूतल तथा दो मंजिले) प्रत्येक 7500 वर्ग मीटर का निर्माण	2786.74	2322.28 एएसआईडीई:1973.94 प्राधिकारी (15%): 348.34	600.00
4	कांडला एसईजेड	सुरक्षा प्रणाली में सुधार, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :- i) प्रवेश एवं निर्गम द्वार सहित नया चैकपोस्ट, चैकपोस्ट के निकट अग्निशमन केन्द्र ii) नेटवर्क तथा सिव्युरिटी सोल्यूशंस iii) वॉच टावर्स	633.00	386.66	200.00
5	कांडला एसईजेड	ग्रीन एसईजेड तथा सौर ऊर्जा प्रणाली (चरण- I)	1000.00	700.00 एमएनआरई: 300.00	अस्वीकृत
6	एमईपीजेड एसईजेड	एमईपीजेड एसईजेड परिसर में फायर हाइड्रेंट सिस्टम का प्रावधान	1277.00	1163.62	300.00
7	एनएसईजेड	एनएसईजेड के जे एण्ड के ब्लॉक में 1000 केडब्ल्यूएक्सजेड ग्रीड क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र	580.00	एमएनआरई वित्तपोषण की पुष्टि के बाद राशि को अंतिम रूप दिया जाएगा ।	अस्वीकृत
8	मसाला बोर्ड	हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में मसाला पार्क की स्थापना	17000.00 (मूल परियोजना लागत 10,000 एमटीएस हेतु) 3000 एमटीएस के कच्चे माल के आकलन के बाद संशोधित परियोजना लागत की पुष्टि की जानी है ।	600.00 (फैंस- 1)]	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 300.00 वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहण हेतु

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	एजेंसी	परियोजना	कुल परियोजना लागत (टीपीसी)	प्रशासनिक अनुमोदन	अनुमोदित निर्णय (2010-11)
9	हिमाचल प्रदेश सरकार	संधोली (बदी), जिला सोलन में ट्रक पार्किंग का निर्माण	1184.50 [पात्र परियोजना लागत: 710.50]	अस्वीकृत	--
10	हिमाचल प्रदेश सरकार	बदी हिमाचल प्रदेश में आईसीडी हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण	320.94 [पात्र परियोजना लागत: 288.93]	अस्वीकृत	--
11	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि0 (रीको)	खुशखेड़ा से एनएच-8 (हरियाणा एवं औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाले मौजूदा सम्पर्क मार्ग में अवसंरचना सुविधाओं का उन्नयन/सुधार	1015.41 [पात्र परियोजना लागत: 945.41]	अस्वीकृत	--
12	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (जे एंड के सिडको)	पम्पोर (जम्मू-कश्मीर) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र की स्थापना	4000.00	3000.00 (2008-09)	जे एण्ड के सिडको ने दिनांक 19.1.11 के पत्र सं. सिडको/पीएस/एमडी/कैम्प/आरओजे/11/808 द्वारा सूचित किया है कि विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) (गठन अब अंतिम चरण में है) के अभाव में कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई है।

3.1 नई परियोजनाएं

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	एजेंसी	परियोजना	कुल परियोजना लागत (टीपीसी)	प्रशासनिक अनुमोदन	अनुमोदित निर्गम 2010-11 एवं टिप्पणियाँ
1.	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी)	सीतापुर (उत्तर प्रदेश) में रग्स एवं दरियों हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना	500.00	280.00	निर्गम का निर्णय ईपीसीएच द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से भूमि का कब्जा प्राप्त करने के बाद फाइल पर किया जाएगा।
2.	हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई (एचईपीसी)	चेन्नई में हथकरघा संसाधन केन्द्र की स्थापना	1940.124 [पात्र परियोजना लागत: 655.40]	इस पर वस्त्र मंत्रालय की संस्तुति के बाद विचार किया जाएगा।	फाइल पर निर्णय लिया जाएगा।
3.	केरल राज्य औद्योगिक उद्यम लि0 (केएसआईई)	इल्लूर, कल्लमशेरी, केरल में कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना	4698.00	अस्वीकृत	एसआईडी की सहायता के बीना निजी क्षेत्र/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा संस्थागत सहायता से अनेक आईसीडी/सीएफएस परियोजनाएं पहले से ही स्थापना की जा रही है। अतः इसे अस्वीकार किया जाता है।
4.	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी)	खम्भात, गुजरात में एगेट तराशी एवं पॉलिशिंग केन्द्र की स्थापना	139.50	100.50	जीजेईपीसी द्वारा भूमि का कब्जा लिए जाने के बाद 100.50

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	एजेंसी	परियोजना	कुल परियोजना लागत (टीपीसी)	प्रशासनिक अनुमोदन	अनुमोदित 2010-11 टिप्पणियाँ	निर्गम एवं
5.	भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई)	कोल्लम स्थित सीईपीसी प्रयोगशाला में सुविधाओं का उन्नयन	819.00	इसकी जाँच वाणिज्य विभाग के ईपी (एग्री-11) से टिप्पणियाँ प्राप्त होने पर फाईल पर की जाएगी। इसके अलावा यदि निजी क्षेत्र के उद्यमी इसका लाभ उठाते हैं तो प्रयोक्ता लागत वहन के आधार पर वित्त पोषण की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए।	--	
6.	फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई)	फुरसतगंज (एफडीडीआई परिषद) में ऑपरेटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	2440.00	आस्थगित	--	
7.	लघु उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	जाजमऊ स्थित टैनरी सीईटीपी का उन्नयन करके 65 एमएलडी संयुक्त अपशिष्ट जल (निस्सारन + सीवरेज), निस्सारन निकास प्रणाली सहित, सामान्य क्रोम रिकवरी प्रणाली	35468.00	अस्वीकृत	--	
8.	मिजोरम सरकार	मिजोरम में विभिन्न स्थानों पर 20 बाँस निर्मित अगरबत्ती स्टिक तथा संबद्ध उत्पादों हेतु यूनिटों की स्थापना	1000.00	मिजोरम सरकार को अपना प्रस्ताव ईडीएफ के अंतर्गत वाणिज्य विभाग के इंफ्रा-11 प्रभाग को प्रस्तुत करना चाहिए।	यह पूँजीगत लागत सहित अवसंरचना परियोजना नहीं है।	
9	कांडला एसईजेड	48 सीआईडी किस्म के शैडों को ध्वस्त करना एवं पुनः निर्माण	10855.00	कांडला एसईजेड को तकनीकी प्रमाणन प्राप्त करने के बाद अलग से एक प्रस्ताव एसईजेड प्रभाग को प्रस्तुत करना चाहिए। अतः अस्वीकृत किया जाता है।	--	
10	कांडला एसईजेड	एसडीएफ बिल्डिंग (ग्रांड प्लस) 7500 वर्ग मीटर का निर्माण	2786.74 [पात्र परियोजना लागत:2322.28]	आस्थगित	--	

3.3 चल रहित परियोजनाओं हेतु निर्गत राशि:

3.3.1 जिन मामलों में माँग प्राप्त हुई थी

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	एजेंसी	परियोजना	टीपीसी (अनुमोदन वर्ष)	अनुमोदित राशि	अब तक निर्गत राशि	आगे निर्गम हेतु अनुमोदित राशि (2010-11)
1.	सिक्किम औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि०, सिक्किम (सीडिको)	बॉर्डर ट्रेड मार्ट, नाथुला	850.00 (2008-09)	850.00	455.00 255.00 (4.12.08 एवं 200.00 (31.3.09)	395.00 (अंतिम)
2	कांडला एसईजेड (केएएसईजेड)	एसडीएफ बिल्डिंग (ग्राउंड प्लस) 6000 वर्ग मीटर का निर्माण	1393.37 (2009-10)	1393.37	800.00 300.00 (13.1.10) एवं 500.00 (29.7.10)	361.14 (अंतिम) (20% की दर से एजेंसी प्रभार अर्थात 232.23 का वहन केएएसईजेड प्राधिकारी द्वारा किया जाना है।
3	फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई)	एफडीडीआई, फुरसत गंज, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन स्टूडियो (आईडीएस)	1480.00 (2010-11)	1215.00	500.00 (4.11.10)	एफडीडीआई से व्यय रिपोर्ट प्राप्त होने तक 150.00
4	पश्चिम बंगाल सरकार	फुलबारी में एलसीएस का विकास	1403.00 (2008-09)	871.00	600.00 300.00 (6.3.09) एवं 300.00 (16.12. 09)	पश्चिम बंगाल सरकार से व्यय रिपोर्ट/यूसी प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
5	पश्चिम बंगाल सरकार	घोजादंगा में एलसीएस का विकास	505.00 (2008-09)	505.00	200.00 (6.3.09)	अब तक कोई वास्तविक प्रगति न होने के कारण आस्थगित।
6	पश्चिम बंगाल सरकार	हिल्ली में एलसीएस का विकास	773.00 (2008-09)	654.00	300.00 (6.3.09)	अब तक कोई वास्तविक प्रगति न होने के कारण आस्थगित।

3.3.2 चल रही परियोजनाएं, जिनमें माँग प्राप्त नहीं हुई थी

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	एजेसी	परियोजनाएं	टीपीसी (अनुमोदन वर्ष)	माँगी गई सहायता/ अनुमोदित राशि	अब तक निर्गत राशि (तारीख)	प्रगति की समीक्षा
1	चर्म निर्यात परिषद	रानीपेट (तमिलनाडु) में परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	979.00 (2010-11)	734.00	440.00 (12.8.10)	वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति रिपोर्ट देय हो गई है ।
2	गुजरात सरकार	प्रागपुर चौकडी से अदानी पत्तन, मुंद्रा (गुजरात) तक सड़क का निर्माण	2600.00 (2009-10)	1300.00	450.00 (30.9.09)	वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति के संबंध में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेने हेतु अपर सचिव (एएसआईडीई) के हस्ताक्षर से मुख्य सचिव को पत्र भेजा जाए ।
3	त्रिपुरा सरकार	बोधजंग नगर, त्रिपुरा में बाम्बू पार्क की स्थापना	2935.00 (2009-10)	1,020.00	510.00 (9.3.10)	-तदैव-
4	त्रिपुरा सरकार	श्रीमंतपुर, त्रिपुरा में एलसीएस का विकास	1600.00 (2009-10)	1200.00	400.00 (9.3.10)	-तदैव-
5	मसाला बोर्ड	दिल्ली में प्रयोगशाला-सह-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	500.00 (2007-08)	500.00	350.00 [50.00 (14.11.07), 100.00 (12.2.10) एवं 200.00 (8.10.10)]	

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	एजेंसी	परियोजनाएं	टीपीसी (अनुमोदन वर्ष)	माँगी गई सहायता/ अनुमोदित राशि	अब तक निर्गत राशि (तारीख)	प्रगति की समीक्षा
6	मसाला बोर्ड	कोलकाता में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला-सह-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	500.00 (2008-09)	500.00	250.00 (26.3.09)	-तदैव-
7	मसाला बोर्ड	तूतीकोरिन में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला-सह-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	500.00 (2009-10)	448.00	150.00 (50.00: 12.2.10) (100.00: 8.10.10)	वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति रिपोर्ट देय हो गई है ।
8	मसाला बोर्ड	गुना, मध्य प्रदेश में मसाला पार्क की स्थापना	4518.80 (2010-11)	1900.00	500.00 (13.10.10)	-तदैव-
9	मसाला बोर्ड	कांडला में गुणवत्ता-सह-प्रयोगशाला की स्थापना	500.00 (2010-11)	498.00	50.00 (7.12.10)	-तदैव-
10	मसाला बोर्ड	कोटा के निकट रामगंज मंडी, राजस्थान में मसाला पार्क की स्थापना	1500.00 (2010-11)	1000.00	500.00 (27.11.10)	-तदैव-

(लाख रूपए में)

क्र. सं.	एजेंसी	परियोजनाएं	टीपीसी (अनुमोदन वर्ष)	माँगी गई सहायता/ अनुमोदित राशि	अब तक निर्गत राशि (तारीख)	प्रगति की समीक्षा
11	चाय बोर्ड	डीटीआर एंड डीसी, कुर्सियांग दार्जीलिंग में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण की स्थापना	947.00 (2009-10)	731.00	350.00 [50.00 (9.3.10) ; 250.00 (17.8.10)]	-तदैव-

इन सभी एजेंसियों को कम से कम त्रमासिक आधार पर परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए और वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति/परियोजना स्थल पर किए गए व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए ।

3.4 उन परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति जिनके लिए असाइड की ओर से देय कुल अंशदान जारी किया गया था परन्तु जिनके संबंध में प्रगति रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाणपत्र (अपेक्षित एवं लम्बित) प्राप्त नहीं हुआ है :-

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	एजेंसी	परियोजना	टीपीसी (अनुमोदन का वर्ष)	असाइड (आवंटन जारी करने की तिथि)	व्यय/वास्तविक प्रगति रिपोर्ट
1	कोचीन एसईजेड	शून्य निकासी स्तर तक लाने के लिए सीईपीटी संशोधित जल निकासी प्रणाली का संवर्धन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों का अनुपालन	180.00 (2010-11)	90.00 (29.7.2010)	परियोजना की वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति की स्थिति के विषय में जानकारी हेतु एसईजेड प्रभाग इस मामले में सीएसईजेड के साथ उठाएगा।
2	कोचीन एसईजेड	सीएसईजेड में स्ट्रीटलाइट का नवीकरण ऊर्जा मितव्यायी प्रणालियों तथा सौर ऊर्जा बैक-अप का नियोजन	290.25 (2010-11)	90.00 (29.7.2010)	-वही-
3	फाल्टा एसईजेड	दूसरे ओवरहेड जलाशय का निर्माण	86.17 (2009-10)	86.17 (29.7.2010)	विकास आयुक्त, एफएसईजेड फरवरी 2011 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे ।

					प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे ।
4	फाल्टा एसईजेड	दो तीन मंजिला भवनों को निर्माण (प्रत्येक भवन में 6 रिहायशी इकाईयाँ)	161.91 (2010-11)	161.91 (30.11.10)	विकास आयुक्त, एफएसईजेड वित्तीय/वास्तविक प्रगति की रिपोर्ट देंगे ।
5	फाल्टा एसईजेड	फाल्टा एसईजेड के सेक्टर-२ में अग्निशामक अवसंरचना का निर्माण	533.80 (2010-11)	485.28 (30.11.10)	-वही-
6	फाल्टा एसईजेड	एफएसईजेड के सेक्टर - २ में ईट की चारदीवारी बनाना (0.90 मी.) तथा चारदीवारी पर कॉसर्टीना तार लगाना	78.64 (2010-11)	78.64 (30.11.10)	-वही-
7	मद्रास ईपीजेड एसईजेड (एमएसईजेड)	एमईपीजेड कैम्पस के पश्चिमी ओर मुख्य द्वार सुरक्षा कक्ष एवं सीमाशुल्क कार्यालय कक्ष का निर्माण	175.00 (2008-09)	175.00 (11.9.2008)	विकास आयुक्त (प्रभारी) एमएसईजेड ने सूचित किया है कि एमएसईजेड द्वारा फरवरी 2011 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।
8	एमएसईजेड	कार्यालय भवन का आधुनिकीकरण	200.00 (2008-09)	200.00 (31.3.2008)	विकास आयुक्त (प्रभारी) एमएसईजेड ने सूचित किया है कि कार्य पूरा हो गया है और उपयोगिता प्रमाणपत्र एक हफ्ते के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा ।
9	एमएसईजेड	सीसी सड़कें तथा डक्ट (विद्युत/संचार)	902.70 (2009-10)	902.70 645.54 (31.3.10) एवं : 257.17 (31.5.2010)	-वही-
10	एमएसईजेड	स्ट्रीट लाइटें (संख्या में 80)	54.00 (2009-10)	54.00 (2009-10)	-वही-
11	एमएसईजेड	लैंडस्केपिंग	52.00 (2009-10)	52.00 (10.8.2009)	-वही-

12	नोएडा एसईजेड	एसईजेड, जयपुर के स्टाफ हेतु आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	110.94 2007-08	110.94 (7.1.2008)	विकास आयुक्त (प्रभारी) एमएसईजेड ने सूचित किया कि कार्य संपन्न हो गया है और एनएसईजेड द्वारा फरवरी 2011 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।
13	नोएडा एसईजेड	एनएसईजेड में मौजूदा सुरक्षा सड़क का सुदृढ़ीकरण	116.00 (2008-09)	116.00 (17.8.2009)	-वही-
14	नोएडा एसईजेड	वे-ब्रिज की संस्थापना के लिए सड़क एवं पार्किंग स्थल का निर्माण	176.35 (2009-10)	176.35 (10.8.2009)	-वही-
15	सीपज	सीपज स्टाफ क्वार्टरों में आंतरिक एवं बाह्य मरम्मत कार्य	188.44 (2008-09)	75.00 (23.12.08)	संयुक्त विकास आयुक्त सीपज ने सूचित किया है कि कोई राशि जारी नहीं की गई थी तदनुसार डब्ल्यूईएमएस को अद्यतन किया जाएगा ।
16	सीपज	एक अग्निशामक इंजन, एम्बुलेंस तथा 24 घंटे उपलब्ध कार्मिकों के साथ एक अग्निशमन केंद्र की स्थापना	520.00 (2008-09)	520.00 350.00 (10.8.09): एवं 170.00 (9.2.10)	दिनांक 29.9.10 तक 50% कार्य सम्पन्न हो गया था । सीपज से कार्य को अविलम्ब पूरा करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था ।
17	सीपज	सड़को पर एवं एचडीपीई ड्रेनेज लाइन में बीएम तथ एसफाल्ट कंक्रीट बिछाना	349.00 (2008-09)	315.00 (10.8.09)	दिनांक 29.9.2010 तक 90% कार्य सम्पन्न हो गया है । सीपज से उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था ।
18	सीपज	निगरानी के प्रयोजनार्थ सीपज के भीतर चार वाँच टावरों की स्थापना	63.66 (2008-09)	63.66 (9.2.10)	दिनांक 29.9.2010 तक 95% कार्य सम्पन्न हो गया है सीपज से उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था ।
19	सीपज	सीपज एसईजेड में गेट संख्या 2 का निर्माण	69.95 (2009-10)	69.95 (25.2.10)	संयुक्त विकास आयुक्त सीपज, फरवरी, 2011 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे ।

20	सीपज	सीपज एसईजेड के परिसर में वर्षा जल संग्रह करने वाले खुले गटर को बंद करने के लिए आरसीसी प्री-कास्ट कवर उपलब्ध करवाना	164.90 (2009-10)	164.90 (25.1.10)	संयुक्त विकास आयुक्त सीपज, जून, 2011 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे ।
21	सीपज	सीपज एसईजेड के पूर्वी पक्ष में आरसीसी चारदीवारी में कांटेदार तारों की 15 पंक्तियां लगाकर सीपज परिसर की सुरक्षा को सुदृढ़ करना	153.44 (2009-10)	153.44 (25.2.10)	संयुक्त विकास आयुक्त सीपज, जून, 2011 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे ।
22	सीपज	गेट सं. 1,2,3 पर लैंगेज स्कैनर लगाना तथा सीपज एसईजेड के गेट सं. 1 के प्रथम तल पर अग्निशमन व्यवस्था के सथा नियंत्रण एवं सर्वर कक्ष उपलब्ध कराना	221.35 (2009-10)	184.40 (25.2.10)	संयुक्त विकास आयुक्त, सीपज ने सूचित किया है कि टेंडर निकालने की प्रक्रिया चल रही है तथा मार्च 2011 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।
23	सीपज	सभी भवनों में भवन सुरक्षा हेतु फ्लडलाइटों का प्रावधान, संस्थापना, जाँच तथा कमिशनिंग	66.45 (2009-10)	66.45 (25.2.10)	संयुक्त विकास आयुक्त, सीपज एसईजेड द्वारा मई, 2011 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।
24	सीपज	जी एण्ड जे भवन सं. २२ की मरम्मत का कार्य	172.50 (2009-10)	172.50 121.00 (5.3.10) : 51.50 (29.7.10)	जारी निधि के संबंध में पुनः सत्यापन किया गया है । सीपज द्वारा वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना दी जाएगी ।
25	सीपज	सीपज एसईजेड में 100 कि.वा.पा. वाली ग्रिड सौर ऊर्जा संवर्धन प्रणाली द्वारा ऊर्जा का सृजन	380.95 (2009-10)	310.95 (30.11.10)	श्री अरविन्द मेहता, संयुक्त सचिव, सीपज का दौरा करेंगे और चल रही सभी परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और उनके संबंध में रिपोर्ट देंगे ।

26	एपीडा	अंगूर हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र (एनआरसी ग्रेप) पुणे में ताजे फलों एवं सब्जियों हेतु नेशनल रेफरल लैबोरेट्री (एनआरएल) का उन्नयन ।	1568.29 (2009-10)	784.15 जारी: 597.75	दिनांक 20.1.2011 के पत्र के अनुसार 597.75 लाख रु. की राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था ।
27	सीएलई	अम्बूर व्यापार केंद्र में अम्बूर (तमिलनाडु) में अग्निशमन कार्य, कार पार्किंग तथा आंतरिक सड़क कार्य जैसी अतिरिक्त अवसंरचना का विकास ।	268.00 (2009-10)	201.00 134.00 (9.2.10) : एवं 67.00 (12.8.10)	कार्य सम्पन्न हो गया है । सीएलई द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।
28	सीएलई	कोलकाता में डिजाइन स्टूडियो का अवसंरचना उन्नयन	320.34 (2010-11)	288.30 (12.8.10)	सीएलई ने सूचित किया है कि निविदा की प्रक्रिया सम्पन्न हो गई है ।
29	सिडको, सिक्किम	नाथुला सीमा पर अवसंरचना विकास	1644.17 (2006-07)	1644.17 जारी: 1636.24 [385.00 (29.3.2007) 450.00 (12.10.07) : एवं 801.00 (31.3.2009)]	उपयोगिता प्रमाणपत्र 835.24 उपयोगिता प्रमाणपत्र अपेक्षित 801.00 वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति सूचित की जानी चाहिए ।

3.5 जिन परियोजनाओं में उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित है :-

(लाख रु. में)

क्र.सं.	एजेंसी	परियोजना	असाइड का योगदान	जारी निधि (जारी करने की तारीख)	सूचित व्यय/प्राप्त यूसी/ईसी का निर्णय
1	एपीडा	तीन अवसंरचना परियोजनाएँ	1092.00	1092.00 (30.9.08)	प्राप्त यूसी : 1039.39 एपीडा आगे 45.00 लाख

				सूचित व्यय 1039.39	रू. का उपयोगिता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगा तथा 7,60,597 रुपये की अप्रयुक्त राशि वापस करेगा (दिनांक 20.1.2011 का पत्र सं. एपीडा/बी एण्ड एफ / 2010-11)
2	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश, बदी, जिला सोलन में व्यापार केंद्र की स्थापना वर्ष : 2008-09	540.00	540.00 (30.9.08)	एएस (असाइड) द्वारा परियोजना तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र की वास्तविक /वित्तीय प्रगति का विवरण मांगते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया था ।
3	एचआरडीआई	सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सटेंशन ईकाई (एससीएफई) की स्थापना । वर्ष : 2007-08	240.11	240.11 100.00 (13.2.09) : 140.11 (31.3.09)	सूचित व्यय - 0.00 एचआरडीआई, उत्तराखण्ड सरकार ने अपने दिनांक 19.1.2011 के पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि वाणिज्यिक नीलामी शुरू करने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है । एजेंसी परियोजनाओं को समय पर संपन्न करने के लिए परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाई जानी चाहिए ।
4	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर के लासीपोरा (पुलवामा) में सामान्य निस्सारण संयंत्र की स्थापना वर्ष : 2008-09	320.00	320.00 193.00 (19.9.08) : 127.00 (30.9.09)	जम्मू एवं कश्मीर सीडको ने दिनांक 19.1.2011 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि परियोजना शीघ्र संपन्न हो जाएगी और मई, 2011 में उसका कार्यान्वयन शुरू हो जाने की आशा है ।
5	जम्मू एवं कश्मीर	टीएफसी सलामाबाद तथा टीएफसी चकन दा बाग का विकास वर्ष : 2008-09	500.00	500.00 200.00 (21.11.08) : 300.00	जम्मू एवं कश्मीर सीडको ने दिनांक 19.1.2011 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि टीएफसी सलामाबाद में कार्य प्रगति दर है तथा इस स्थान पर अस्थाई रूप से नियंत्रण

				(25.3.10)	रेखा के आर-पार वस्तुओं के अंतरण का कार्य किया जा रहा है । हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के मद्देनजर शीतकाल के समाप्त होते ही सलामाबाद स्थित व्यापार सुविधा पर कार्य शुरू किया जाएगा ।
6	मसाला बोर्ड	चेन्नई में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला सह-प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वर्ष : 2008-09	600.00	600.00 ₹25.00(25.1.09) 250.00(26.3.09) एवं 325.00(3.9.09)ट	एजेंसी द्वारा वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति की सूचना दी जानी चाहिए ।

निम्नलिखित परियोजनाओं को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया था :

3.6.1 कोटा, राजस्थान के पास रामगंज मंडी में मसाला पार्क की स्थापना : 1500 लाख रु. की कुल परियोजना लागत में से असाइड से 1000 लाख रु. का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था और प्रथम किश्त के रूप में 500 लाख की राशि मसाला बोर्ड, कोच्चि (केरल) के निम्नलिखित कार्यों हेतु दी गई थी : (त) भूमि विकास तथा लैंडस्केपिंग (त्त) भवन निर्माण कार्य (त्त) संयंत्र एवं मशीनरी तथा (ध) उपयोगिताएं - वैद्युतीकरण तथा जलापूर्ति ।

3.6.2 मणिपुर सरकार : वर्ष 2006-07 तक अनुमोदित एसएलईपीसी की सभी सात परियोजनाओं को दिनांक 31.3.2011 तक संपन्न करने के लिए मणिपुर की राज्य सरकार को 1053.28 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत में से असाइड से 363.66 लाख का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था ।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम (मणिपुर में वर्ष 2006-07 तक अनुमोदित एसएलईपीसी परियोजनाएं)	कुल लागत	अनुमोदित राशि
1	मोरेह में लल्काई वेंग से सीमा पुल तक डायवर्जन सड़क के निर्माण में खुदाई कार्य ।	168.35	1.53
2	मोरेह में लल्काई वेंग से सीमा पुल तक डायवर्जन सड़क के फुटपाथ का निर्माण ।	243.48	66.42
3	मोरेह में लल्काई वेंग से सीमा पुल तक डायवर्जन सड़क के निर्माण में खुदाई कार्य के साथ 1.5 मी. के आरसीसी स्लैब पुलिया (सं. में 13) का निर्माण ।	175.24	3.51
4	मोरेह के भण्डागार में ड्रेनेज प्रणाली का निर्माण ।	22.54	0.53

5	मोरेह में लल्काई वेंग से सीमा पुल तक डायवर्जन सड़क के निर्माण में खुदाई कार्य के साथ पक्के लाइन ड्रेन का निर्माण ।	76.96	47.19
6	मोरेह में लल्काई वेंग से सीमा पुल तक डायवर्जन सड़क के निर्माण में खुदाई कार्य के साथ मल्टी स्पैन आरसीसी पुल का निर्माण ।	336.56	239.60
7	सीमा पुल को जलापूर्ति किए जाने वाले स्थान के निकट वार्ड सं.-1 से व्यापार रूट का निर्माण ।	30.15	4.88
	कुल	1053.28	363.66

नोट : 689.62 लाख रु. की शेष राशि असाइड राज्य संघटक से पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

3.6.3 सीपज एसईजेड में प्लॉट ए - 1 के पास टावर के निर्माण हेतु सीपज एसईजेड प्रस्ताव (विनिर्मित क्षेत्र : 11,620 वर्ग मी.) : 2341.00 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत में से असाइड केंद्र द्वारा 1989.00 लाख रुपये के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया और सीपज प्रधिकरण द्वारा 351.00 लाख रु. का योगदान किया गया ।

3.6.4 सीमावर्ती हाटों में निर्माण कार्य हेतु मेघालय सरकार द्वारा मेघालय औद्योगिक विकास निगम को असाइड के केंद्र संघटक के अंतर्गत 79.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई : 158.00 लाख रु. की कुल परियोजना लागत में से असाइड के तहत अनुमत संघटक के लिए 79.00 लाख रुपये हेतु असाइड (केंद्र) का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया और शेष 79.00 लाख रु. का योगदान विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया ।

3.7 अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई ।

डॉ० राहुल खुल्लर, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में असाइड की तीसरी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दिनांक 20.1.2011 को कमरा नं 141 उद्योग भवन, नई दिल्ली में अपराह्न 2.30 बजे आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	प्रतिभागियों के नाम	पदनाम/संगठन
1.	श्री पी.के.चौधरी	अपर सचिव, वाणिज्य विभाग
2.	श्री राजन कटोच	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य विभाग
3.	डॉ० श्याम अग्रवाल	अपर सचिव, वाणिज्य विभाग
4.	श्री अरविंद मेहता	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
5.	श्री सुमंता चौधरी	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
6.	श्री टी. श्रीनिधि	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
7.	श्री अनुराग सक्सेना	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
8.	श्रीमती सुतपा मजूमदार	निदेशक, योजना आयोग
9.	श्रीमती अमृत राज	निदेशक (वित्त) वाणिज्य विभाग
10.	श्री .ए.के. बाम्बा	निदेशक (राज्य प्रकोष्ठ), वाणिज्य विभाग
11.	श्री राम लखन	अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
12.	श्री राजीव जैन	अध्यक्ष, जी एण्ड जेईपीसी
13.	श्रीमती स्वर्णा	विकास आयुक्त, एमएसईजेड
14.	श्री बीला राजेश	कार्यकारी निदेशक, एचईपीसी
15.	श्री ओंकार शर्मा	आयुक्त (उद्योग), हिमाचल प्रदेश
16.	श्रीमती रेशमा लखानी	संयुक्त विकास आयुक्त, सीपज
17.	श्री एस. किशोर	विकास आयुक्त, एपीएसईजेड/एफएसईजेड
18.	श्री अली अहमद खान	कार्यकारी निदेशक, सीएलई
19.	श्री एस.सी. पांडा	विकास आयुक्त, एनएसईजेड
20.	श्री के. शशि वर्मा	कार्यकारी निदेशक एवं सचिव सीईपीसी
21.	श्री पी.के. मित्तल	अपर अभियंता, राजस्थान सरकार
22.	श्री आर.के. श्रीवास्तव	संयुक्त निदेशक, ईपीसीएच
23.	श्री एस.आई. शर्मा	प्रबंध निदेशक, मानडीको, मणिपुर सरकार
24.	श्री बी. श्रीकुमार	उप-निदेशक, मसाला बोर्ड
25.	श्री एच.एल. रोचुनगुंगा	रेजिडेंट कमीशनर, मिजोरम सरकार
26.	श्री डी.के. हिमाशु	अनुभाग अधिकारी (राज्य प्रकोष्ठ), वाणिज्य विभाग ।

